**संख्या- 173 / 2024 / 758 / चार-2024-1713964**

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 मार्च, 2024

विषय:- ग्राम पंचायत सिवानकला (नेहता) विकास खण्ड नवानगर जनपद बलिया में स्थित खुलामंच के विस्तारीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4699/सं0नि0-6(163)/2022-23, दिनांक 21 फरवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार ग्राम पंचायत सिवानकला (नेहता) विकास खण्ड नवानगर जनपद बलिया में स्थित खुलामंच के विस्तारीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति -800- अन्य व्यय -03-प्रेक्षागृह / खुलामंच का निर्माण-24 -वृहद निर्माण कार्य मद में रू0 26.10 लाख (रू0 छब्बीस लाख दस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए प्रायोजना हेतु रू0 54.69 लाख (रू0 चौवन लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
(5) संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(9) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में प्रस्तावित जी०एस०टी० की धनराशि वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य होगी।
(10) संस्कृति निदेशालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था – यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 का होगा।
(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो, इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(13) आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार / क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
(9) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में प्रस्तावित जी०एस०टी० की धनराशि वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य होगी।
(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(15) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(16) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।
(17) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(18) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(19) स्वीकृत धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था – उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 04 कला एवं संस्कृति-800 अन्य व्यय-05-जनपद अयोध्या में सांस्कृतिक मंच की स्थापना -24-वृहद निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों में से से रू0 26.10 लाख (रू0 छब्बीस लाख दस हजार मात्र) को संक्रमित कर लेखाशीर्षक -4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति -800- अन्य व्यय -03-प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण -24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 173 /2024 / 758 (1)/चार-2024- 1713964 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- महाप्रबंधक जोन-7, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई-19, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, आजमगढ़।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20232024-758-2024-4699-Culture Sivankala Balia Reapp

विषय:- ग्राम पंचायत सिवानकला (नेहता) विकास खण्ड नवानगर जनपद बलिया में स्थित खुलामंच के विस्तारीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

*निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण*

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | 4202048000500 (जनपद अयोध्या में सांस्कृतिक मंच की स्थापना ) | 24 (वृहत् निर्माण कार्य) | 27,36,000 रुपये सत्ताईस लाख छत्तीस हजार मात्र | 27,36,000 रुपये सत्ताईस लाख छत्तीस हजार मात्र | 26,10,000 रुपये छब्बीस लाख दस हजार मात्र | 26,10,000 रुपये छब्बीस लाख दस हजार मात्र | 1,26,000 रुपये एक लाख छब्बीस हजार मात्र | 2023-2024 |
| **कुल** | | | | | ₹ 26,10,000 | ₹ 26,10,000 | | |

*निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण*

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | 4202048000300 (प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण ) | 24 (वृहत् निर्माण कार्य) | 7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र | 26,10,000 रुपये छब्बीस लाख दस हजार मात्र | 26,10,000 रुपये छब्बीस लाख दस हजार मात्र | 7,26,10,000 रुपये सात करोड़ छब्बीस लाख दस हजार मात्र | 2023-2024 |
| **कुल** | | | | ₹ 26,10,000 | ₹ 26,10,000 | | |

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
(5) संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

संख्या:RE-budget-1-760-E-7-753-X-2023-24-दिनांक:22-03-2024

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

कुंवर मकरंद सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 173 /2024 / 758 (1)/चार-2024- 1713964 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- महाप्रबंधक जोन-7, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई-19, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, आजमगढ़।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।